

सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (MITC)

लोन रिफरेंस नंबर

(लीड ID) _____

पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पहले जिसे पीरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका रजिस्टर ऑफिस का पता: 601, 6वीं मंजिल, अमीति बिल्डिंग, पीरामल कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई 400070, ("ऋणदाता") में है, से ("ऋणी") द्वारा लिए गए ऋण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें नीचे उल्लिखित हैं। इन्हें स्वीकृति पत्र, ऋण अनुबंध और अन्य लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों (जो ऋणी द्वारा ऋणदाता के पक्ष में निष्पादित किए जाएंगे) के साथ पढ़ना और समझना आवश्यक है (सामूहिक रूप से "लेन-देन दस्तावेज" कहलाएंगे)। इस दस्तावेज़ (MITC) में प्रयुक्त बड़े अक्षरों वाले शब्द तथा अन्य शब्द और वाक्यांश, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, उन्हें ऋण अनुबंध में दिए गए अर्थों के अनुसार ही समझा जाएगा, जब तक कि संदर्भ के अनुरूप कुछ भिन्न अर्थ न निकले।

1. ऋण विवरण

कुल स्वीकृत ऋण	रु.		
ब्याज दर प्रकार	☐ फिक्स्ड	☐ फ्लोटिंग	
ब्याज का विवरण			
ऋण का प्रकार	FRR	मार्जिन / स्प्रेड	इस तिथि पर प्रभावी ROI
होम लोन			एग्रीमेंट(प्रति वर्ष)
LAP			
बीमा ऋण			
बंधक (Mortgage) गारंटी शुल्क			
टॉप-अप लोन			
* दंडात्मक शुल्क (Penal Charges)	डिफॉल्ट(चूक) की स्थिति में PEMII / EMI पर 24% प्रति वर्ष अर्थात् 2% प्रति माह का शुल्क, डिफॉल्ट की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक लागू होगा।		

ऋणी (Borrower) द्वारा नीचे दी गई किसी भी शर्त या नियम का उल्लंघन करने पर बकाया राशि पर 2% प्रति माह का शुल्क लागू होगा, जो उस उल्लंघन की तिथि से शुरू होकर तब तक लागू रहेगा जब तक कि वह उल्लंघन ऋणदाता की संतुष्टि तक समाप्त न कर दिया जाए। **निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन न करने पर दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा: समझौते में निर्दिष्ट नियत तिथि या उससे पहले, बकाया राशि या ईएमआई या समझौते के अंतर्गत देय किसी अन्य राशि का भुगतान न करना या आंशिक भुगतान करना। • समझौते या लेन-देन दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय सीमा या बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर गारंटी (सिक्योरिटी) का निर्माण न करना। • संपत्ति के शीर्षक दस्तावेज (टाइटल डीड्स) या ऋणदाता द्वारा निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज, लेन-देन दस्तावेजों में उल्लिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर ऋणदाता के पास जमा न करना। • ऋण आवेदन पत्र में ऋणी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी, या ऋणदाता को प्रदान किए गए वित्तीय विवरण और/या कोई अन्य दस्तावेज / प्रमाणपत्र / रसीद / विवरण गलत या भ्रामक पाया जाना। • यदि ऋणी, ऋण राशि या उसका कोई भाग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य में प्रयोग करता है, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है, या यदि वह उद्देश्य अवैध हो जाता है। • समझौते के अंतर्गत दी गई किसी भी भुगतान निर्देश का अपमान (डिशॉनर), या ऋणी द्वारा किसी भी भुगतान विधि को रोकने के लिए निर्देश देना, या ऋणदाता को NACH मैडेट प्रस्तुत न करने या NACH मैडेट को रद्द करने का निर्देश देना। • ऋण आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर, जैसे कि पता, रोजगार आदि में परिवर्तन, और उस परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर अद्यतन KYC दस्तावेज, रोजगार विवरण आदि जमा न करना। • लेन-देन दस्तावेजों की शर्तों के तहत ऋणदाता द्वारा की गई किसी मांग का आंशिक भुगतान करना। • संपत्ति के निर्माण में स्वीकृत योजना से कोई विचलन होना, निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा न करना, या संपत्ति के निर्माण के संबंध में प्राप्त किसी स्वीकृति को वापस ले लेना। • गारंटी (सिक्योरिटी) के उपयोग में परिवर्तन होना, या गारंटी का कोई भाग खो जाना, बेचा जाना, उपहार में दिया जाना या उसकी मूल्यहास होना, और ऋणी द्वारा सुरक्षा आवरण (Security Cover) बनाए रखने के लिए अतिरिक्त गारंटी प्रदान न करना, या गारंटी पर कोई कुर्की या जब्ती लगना, या दी गई गारंटी ऋणदाता के अनुसार अमान्य या अप्रभावी हो जाना। यदि गारंटी या उसके किसी भाग को किराए पर देना, लीव एंड लाइसेंस पर देना, बेचना, हटाना, बंधक रखना, भारित करना (encumbered) या किसी भी प्रकार से ऋणदाता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना हटाना या स्थानांतरित करना।			
ब्याज पुनर्निर्धारित करने की तिथि		भिन्न ब्याज दर ऋणदाता द्वारा सूचित की गई भावी तिथि से उपार्जित और देय हो जाएगी	
ऋण पुनर्भुगतान का विवरण			
EMI पुनर्भुगतान की आवृत्ति		☐ पाक्षिक (Fortnightly) ☐ मासिक	
	ऋण	ऋण अवधि	(EMI / किस्त में (₹.))
गृह ऋण	राशि	माह	
LAP			
बीमा ऋण			
बंधक गारंटी शुल्क			
टॉप-अप ऋण			
कुल ऋण राशि			
स्थगन या सब्सिडी			
ऋणी यह समझता है और सहमत है कि RPLR में संशोधन से EMI और/या ऋण अवधि या दोनों में परिवर्तन हो सकता है। ऋणी के पास विकल्प है कि वह (i) EMI में वृद्धि, या (ii) ऋण अवधि में विस्तार, या दोनों विकल्पों के संयोजन को चुन सकता है।			
ऋण का उद्देश्य एवं अंतिम उपयोग			
ऋण का उद्देश्य एवं अंतिम उपयोग	उद्देश्य: अंतिम उपयोग:		
ऋणी द्वारा यह घोषणा, प्रतिनिधित्व, गारंटी, पुष्टि एवं स्वीकृति दी जाती है कि: 1. ऋण का उपयोग केवल इस दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा, और ऋण की अवधि के दौरान ऋण के उपयोग के उद्देश्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अथवा ऐसा कोई परिवर्तन केवल ऋणदाता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा। यह ऋण किसी भी अवैध, समाज विरोधी, मनी लेंडिंग, सट्टा गतिविधियों, अचल संपत्ति में सट्टा निवेश, पुनः उधार देने या प्रतिभूतियों, डिबेंचर या स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।			

2. उपरोक्त प्रतिबद्धता का कोई भी उल्लंघन, ऋण अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में ऋणदाता को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह मेरे/हमारे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सके, जिसमें शेष ऋण राशि को रोका जाना अथवा ऋण की वापसी की मांग शामिल है, जैसा कि ऋणदाता उपयुक्त समझे।

ऋण के लिए सुरक्षा (संपत्ति/प्रतिभूति) / गिरवी (कोलेटरल)	
ऋण के लिए सुरक्षा (संपत्ति/प्रतिभूति)/ गिरवी (कोलेटरल)	ऋण की सुरक्षा सामान्यतः उस संपत्ति पर सुरक्षा हित (Security Interest) के रूप में होगी, जिसे वित्तपोषित किया जा रहा है और/अथवा कोई अन्य गिरवी/अंतरिम सुरक्षा, जैसा कि ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझा जाए।
(a) संपत्ति का विवरण	
(b) गारंटी गारंटर्स/गारंटर : (यदि कोई हों) के नाम	
(c) अतिरिक्त सुरक्षा (यदि कोई हो)	

5. ऋणी के हस्ताक्षर

ब्याज दर में परिवर्तन की जानकारी देने के तरीकेऋणदाता :, ऋणी को पूर्व लिखित सूचना देकर, ब्याज दरों में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। संशोधित RPLR ऋणदाता की वेबसाइट www.piramalfinance.com पर अद्यतन किया जाएगा या उसके कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा समय पर सामान्य-या समय/पत्र के माध्यम से पत्राचार पते पर /या ईमेल / सूचना के माध्यम से भेजा जाएगा। ऐसा परिवर्तित ब्याज दर ऋणदाता द्वारा सूचित की गई भविष्य की किसी तिथि से देय और लागू होगाया ऋणदाता की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा और यह ऋणी पर बाध्यकारी होगा।/

1. शुल्क एवं अन्य प्रभारों का विवरण

ऋण आवेदन के समय/ऋण की अवधि के दौरान लागू शुल्क एवं अन्य प्रभार इस प्रकार हैं। ये शुल्क ऋणदाता की आंतरिक नीति के अनुसार समय-समय पर परिवर्तनीय हैं, और ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना ऋणदाता द्वारा उसकी वेबसाइट, शाखाओं या अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से समय-समय पर दी जाएगी।

क्रम सं.	A. शुल्क एवं अन्य प्रभारों का विवरण	
1	ऋण प्रसंस्करण शुल्क (Loan Processing Fee)	ऋण राशि का 5% तक + लागू कर
2	आंशिक भुगतान / पूर्व-समापन प्रभार	- फिक्स्ड रेट गृह ऋण (HL): पूर्वभुगतान की जा रही ऋण की मूल राशि का 2% + लागू कर, व्यावसायिक उद्देश्य हेतु NHL (व्यक्ति): पूर्वभुगतान की जा रही ऋण की मूल राशि का 4% + लागू कर - गैर-व्यक्तिगत द्वारा लिया

		गया NHL: पुनर्भुगतान की जा रही ऋण की मूल राशि का 4% + लागू कर
3	CERSAI शुल्क	वास्तविक पर + लागू कर
4	ऋण पूर्वसमापन विवरण-	रु.1000/- + लागू कर
5	ऋणदाता के पास जमा दस्तावेजों की सूची	रु.1000/- + लागू कर
6	ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची (केवल भौतिक प्रतियों के लिए लागू)	रु.500/- + लागू कर
7	ऋण पुनर्भुगतान नियमों में परिवर्तन	रु.1000/- + लागू कर
8	चेक हस्तांतरण के बाद ऋण रद्द करना	रु.5000/- + अर्जित एवं देय ब्याज + लागू कर
9	डुप्लीकेट नो ड्यू सर्टिफिकेट / NOC जारी करने का प्रभार (charges)	रु. 500/- + लागू कर

10	खाता विवरण (केवल भौतिक प्रतियों के लिए लागू)	रु.500/- + लागू कर
11	दस्तावेजों की फोटोकॉपी	रु.750/- + लागू कर
12	ब्याज दर परिवर्तन प्रभार(फिक्स्ड से फिक्स्ड) , फ्लोटिंग से फ्लोटिंग, फिक्स्ड से फ्लोटिंग या फ्लोटिंग से फिक्स्ड, जो समय-समय पर लागू हो	बकाया मूलधन का अधिकतम 1% तक+ लागू कर
13	मूल संपत्ति दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति	रु. 1000/- + लागू कर
14	प्रशासनिक प्रभार	5000 रुपये तक/- + लागू कर
15	स्टाम्प ड्यूटी फ्रैंकिंग /प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर
16	वैधानिक प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर
17	EMI तिथि परिवर्तन	रु.1000 + लागू कर
18	दस्तावेज प्रभार	1000 रुपये तक/- + लागू कर
19	सुरक्षा प्रभार(प्रत्येक माह) , यदि 30 दिनों के भीतर एकत्र किया गया हो(	रु.500/- + लागू कर

क्रम सं.	B. संग्रह एवं वैधानिक प्रभार	
1	ऋण पुनर्भुगतान साधन अस्वीकृति (dishonour) प्रभार	रु.750/- प्रत्येक बार
2	वैधानिक प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर

3	कब्ज़ा पुनः प्राप्ति प्रभार (Repossession Charges)	न्यूनतम रु. 25000/- या वास्तविक 4 लागू करें पर, जो भी अधिक हो
4	नकद बकाया /EMI / PEMI संग्रहण प्रभार	रु.500/- + प्रत्येक बार निर्धारित लागू कर
5	केवल NPDC मामलों के लिए EMI / PEMI संग्रहण प्रभार	रु. 500/- + प्रत्येक बार निर्धारित लागू कर वितरण की तिथि से) पहले 3 माह को छोड़कर(
6	कब्ज़े में ली गई संपत्ति के रखरखाव प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर

टिप्पणी:

- उपरोक्त शुल्क और/या प्रभारों पर लागू करें का भुगतान ऋणी द्वारा किया जाएगा।
- ऋण/ऋण आवेदन पर कोई भी अन्य सरकारी कर, प्रभार, लेवी आदि, जब भी लागू होंगे, उनका भुगतान भी ऋणी द्वारा किया जाएगा।
- यदि ऋण स्वीकृत/वितरित नहीं होता है, तो शुल्क की वापसी:
- ऋणी द्वारा भुगतान किया गया प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, वापस किया जा सकता है, बशर्ते कि ऊपर तालिका में उल्लिखित न्यूनतम कटौती राशि ऋणदाता द्वारा रखी जा सके।
- ऋणी को समय-समय पर वेबसाइट पर अद्यतन किए गए शुल्क और प्रभारों की जानकारी लेते रहना चाहिए। "बंधक गारंटी शुल्क" वह प्रीमियम राशि है, जो बंधक गारंटी के लिए ली जाती है।

3. बीमा

संपत्ति का बीमा: ऋणी यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण की अवधि के दौरान संपत्ति का बीमा उचित रूप से और समय पर सभी जोखिमों के विरुद्ध, जैसे कि भूकंप, अग्नि, बाढ़, विस्फोट, तूफान, चक्रवात, दंगे आदि के लिए कराया जाए। बीमा पॉलिसी पॉलिसियों में ऋणदाता को एकमात्र लाभार्थी बनाया जाएगा।

ऋणी का बीमा: ऋणी स्वयं के लिए स्वास्थ्य और/या जीवन बीमा कवर ले सकता है, जिसमें ऋणदाता को पॉलिसी पॉलिसियों में एकमात्र लाभार्थी बनाया जाएगा।

4. ऋण की वितरण की शर्तें:

ऋणी को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

- स्वीकृति पत्र/लेन-देन दस्तावेजों में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना।
- अपने रोजगार/संपर्क विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऋणदाता को देना।
- ऋण की वितरण के लिए लिखित अनुरोध करना (जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो)। ऐसा अनुरोध तब मान्य माना जाएगा जब वह हस्ताक्षरित रूप में, मेल के माध्यम से या ऋणदाता की वेबसाइट www.piramalfinance.com के माध्यम से, या ऋणदाता द्वारा समय-समय पर घोषित किसी अन्य माध्यम से किया जाए।
- लेन-देन दस्तावेजों में उल्लिखित ऋण की वितरण के लिए सभी पूर्व-शर्तों का पालन करना।

5. यह सुनिश्चित करना कि उसके पास संपत्ति (सिक्क्योरिटी) का पूर्ण, स्पष्ट और बाज़ार योग्य स्वामित्व हो और उक्त संपत्ति किसी भी प्रकार के भार या दायित्व से मुक्त हो।
6. यह सुनिश्चित करना कि कोई भी असाधारण या अन्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हुई हो, जिससे ऋणी के लिए ऋण समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव हो जाए।
7. यह सुनिश्चित करना कि ऋणी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार कोई भी डिफॉल्ट की घटना घटित न हुई हो।

गृह ऋणों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

1. अपना अंशदान राशि (फ्लैट की कुल लागत में से ऋण राशि घटाकर) का भुगतान करना, जैसा कि स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट है।
2. यह सुनिश्चित करना कि उपयोग शुल्क, परिवर्तन / विकास **प्रभार** और कर, जो नियामक/विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक हैं, ऋणी द्वारा अदा किए जाएं और उनके प्रमाणस्वरूप रसीदें ऋणदाता को प्रस्तुत की जाएं।
3. ऋणदाता को नियमित रूप से जानकारी प्रदान करना, जिसमें निर्माण में प्रगति/विलंब, संपत्ति को कोई बड़ा नुकसान, करें और वैधानिक **प्रभारों** का भुगतान न किया जाना आदि शामिल हों, जैसा कि समय-समय पर लागू हो सकता है।
4. यह सुनिश्चित करना (स्थापत्य प्रमाणपत्र और शपथ-पत्र प्रस्तुत करके) कि निर्माण स्वीकृत/अनुमोदित योजना के अनुसार किया जा रहा है, और यह भी कि परियोजना के लिए सभी आवश्यक अनुमतियाँ डेवेलपर (या पुनर्विक्रय की स्थिति में विक्रेता) द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं।
5. संबंधित नियामक/विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, साथ ही आर्किटेक्ट का यह प्रमाणपत्र भी कि निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार पूर्ण हुआ है।
6. पूर्व में वितरित ऋण राशि के उपयोग के संबंध में ऋणदाता को संतुष्ट करना और उसका उचित प्रमाण प्रस्तुत करना।

5. बकाया राशि की वसूली हेतु संक्षिप्त संकेतात्मक प्रक्रिया:

ऋण अनुबंध में उल्लिखित किसी भी "डिफॉल्ट की स्थिति" के उत्पन्न होने पर, ऋणी द्वारा ऋणदाता को दिया गया समस्त बकाया राशि तुरंत देय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह ऋण अनुबंध के तहत उपलब्ध अधिकारों को लागू करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया/उपाय अपनाए, जिनमें लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं — डिफॉल्ट ब्याज लागू करना, विधिसम्मत उपायों के अंतर्गत सिक्क्योरिटी को लागू कर बकाया की वसूली करना शामिल है। वास्तविक वसूली प्रक्रिया, प्रत्येक लेनदेन की परिस्थितियों के आधार पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित की जाएगी। वसूली से संबंधित समस्त खर्च/शुल्क ऋणी द्वारा देय होंगे।

6. वह तिथि जिस पर वार्षिक बकाया शेष विवरण जारी किया जाएगा: 30 जून या उससे पहले।

7. ग्राहक सेवा:

1. दस्तावेजों की आवश्यकता सहित ग्राहक सेवा से संबंधित सभी प्रश्न ऋणदाता की टोल फ्री नंबर (जो वेबसाइट www.piramalfinance.com पर उपलब्ध है) पर कॉल करके या ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं: customercare@piramal.com
2. ऋणदाता की सभी शाखाओं के पते और ग्राहक सेवा के लिए निर्धारित समय की जानकारी www.piramalfinance.com पर उपलब्ध है।
3. निकटतम शाखा में स्थित ऋणदाता के ग्राहक सेवा अधिकारी से या ऊपर उल्लेखित सेवा चैनलों में से किसी एक के माध्यम से कार्य समय में संपर्क किया जा सकता है, निम्नलिखित सेवाओं हेतु:
4. दस्तावेजों की फोटोकॉपी – जो अनुरोध की तिथि से 15 कार्यदिवस के भीतर प्रदान की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होगा।
5. ऋण समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर मूल दस्तावेज वापस किए जाएंगे। यदि दस्तावेजों को रिलीज तिथि के बाद लिया जाता है, तो आवश्यक प्रशासनिक शुल्क देय होगा।
6. ऋण खाता विवरण – अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 4 कार्यदिवस के भीतर प्रदान किया जाएगा।

8. शिकायत निवारण (Grievance Redressal):

ऐसे कई अवसर हो सकते हैं जब ऋणी को प्रदान की गई सेवाओं से संतोष न हो। ऐसी स्थिति को उजागर करने और शिकायत दर्ज करने के लिए, ऋणी निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं:

1. ऋणी अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर जो www.piramalfinance.com पर उल्लिखित है के माध्यम से या (ईमेल के द्वारा customercare@piramal.com पर भेज सकते हैं, या संबंधित शाखा के शाखा संचालन प्रबंधक (Branch Operations Manager) से कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं जैसा कि वेबसाइट पर उल्लेखित है।
2. यदि ऋणी को समाधान से संतुष्टि नहीं मिलती है या उनकी शिकायत 15 दिनों के भीतर हल नहीं होती है, तो वे शिकायत को आगे बढ़ाकर हमें इस पते पर लिख सकते हैं:
grievances@piramal.com
3. यदि स्तर 2 (Level 2) पर समाधान संतोषजनक नहीं है या 15 दिनों में उत्तर नहीं मिलता है, तो ऋणी निम्नलिखित को शिकायत बढ़ा सकते हैं:

“नोडल अधिकारी” हेतु परिहार -

पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पहले जिसे पीरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

यूनिट नं - 601, 6वीं मंजिल, अमिती बिल्डिंग, पीरामल कॉर्पोरेट पार्क, कामानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 संपर्क विवरण: 022-71740555

ईमेल: nodal.officer@piramal.com

यदि उपरोक्त सभी स्तरों पर 30 दिनों की अवधि में शिकायत का समाधान नहीं होता है या समाधान संतोषजनक नहीं है, तो ऋणी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के CMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

<https://cms.rbi.org.in>

या निम्नलिखित पते पर लिख सकते हैं:

केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017, टोल फ्री नंबर: 14448

9. करों के भुगतान की देयता/दायित्व:

ऋणी द्वारा देय सभी भुगतान या राशियाँ लागू करों के अधीन होंगी। इस खंड के उद्देश्य के लिए "लागू कर" का अर्थ है कोई भी वर्तमान या भविष्य के कर, उपकर, अधिकार, शुल्काधिकार, इयूटी, स्टॉप शुल्क, प्रभार, कटौती या कर की प्रकृति में रोक, या ब्याज, दंड, अधिभार, उपकर या जुर्माना, जो किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाया, वसूला, एकत्रित, रोका या आंका गया हो (जिसमें बिना किसी सीमा के स्रोत पर कर की कटौती/रोक की जिम्मेदारी शामिल है), चाहे वह किसी लेन-देन, लेन-देन दस्तावेज़, वित्तपोषण या सुविधा विस्तार, संपत्ति की प्राप्ति या प्रावधान,

किसी भी प्रकार की राशि या विचार के भुगतान पर, या अन्यथा लागू कानूनों के तहत हो, और इसमें किसी कर लाभ, कटौती, क्रेडिट या समायोजन की हानि भी शामिल होगी;

यह सहमति व्यक्त की जाती है कि ऋण के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, पक्षकार ऋण और अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का संदर्भ लेंगे और उन पर निर्भर रहेंगे, जिन्हें उन्होंने निष्पादित किया है/निष्पादित करना है।

उपरोक्त नियमों और शर्तों को ऋणी द्वारा पढ़ा गया है / श्री/श्रीमती द्वारा ऋणी को पढ़कर सुनाया गया है और ऋणी द्वारा समझा गया है।

ऋणी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(ऋणदाता के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पर्सनल लोन

अनुसूची / सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

1.	निष्पादन का स्थान	दिल्ली (जहां लोनदाता ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं)
2.	निष्पादन की तिथि	
3.	लोनदाता का नाम	पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पहले जिसे पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था (पंजीकृत कार्यालय का पता: यूनिट नंबर-601, छठी मंजिल, अमिति बिल्डिंग, पीरामल कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070, और इसकी एक शाखा दिल्ली - शाहदरा में स्थित है।
4.	लोन लेने वाले का विवरण	a) नाम
		b) पता
		c) ईमेल पता
		D) मोबाइल नंबर

5.	लोन राशि	लोन राशि: रु. (केवल रुपये)
6.	लोन की अवधि	
7.	ब्याज दर (आरओआई)	% प्रति वर्ष (निश्चित)
8.	रीपेमेंट शेड्यूल	भुगतान की अवधि (महीनों में): बराबर मासिक किस्त रुपये में EMI के भुगतान की फ्रीक्वेंसी: मासिक EMI की देय तिथि हर महीने की तारीख होगी, जब तक कि लोनदाता- द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए।
9.	लोन का उद्देश्य एवं अंतिम उपयोग	
	लोन का उद्देश्य एवं अंतिम उपयोग	उद्देश्य:-
		एंडयूज:-
	कर्जदार इसके द्वारा घोषणा करता है, प्रतिनिधित्व करता है, वारंटी देता है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि: (a) लोन का इस्तेमाल केवल यहाँ बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा और लोन की अवधि के दौरान लोन के इस्तेमाल का उद्देश्य किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा या अंतिम उपयोग में ऐसा कोई भी बदलाव केवल लोन देने वाले की पहले से लिखित अनुमति से ही होगा। लोन का इस्तेमाल किसी भी गैर-कानूनी, असामाजिक, पैसे उधार देने, किसी भी सट्टेबाजी की गतिविधियों, रियल एस्टेट में सट्टेबाजी के निवेश, आगे लोन देने या सिक्योरिटीज़, डिबेंचर या स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए नहीं किया जाएगा। b) उपरोक्त वचन का कोई भी उल्लंघन लोन एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और लोन देने वाला मेरे/हमारे खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बाकी लोन को रोकना/लोन वापस बुलाना शामिल है, जैसा कि लोन देने वाले को सही लगे।	
10.	स्वीकृति पत्र	तिथि:
11.	बीमा प्रीमियम राशि	रु./- (लोन राशि में से काटकर बीमा कंपनी को भुगतान किया जाएगा)
A.	शुल्क एवं अन्य प्रभारों की अनुसूची: आवेदन के समय/लोन की अवधि के दौरान लागू होने वाले शुल्क एवं प्रभार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लोनदाता- द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं। ऐसे किसी भी संशोधन की सूचना लोनदाता- अपनी वेबसाइट www.piramalfinance.com, अपनी शाखाओं या ऐसे किसी अन्य माध्यम से देगा जिसे लोन-दाता उचित समझे। प्रसंस्करण शुल्क, दस्तावेज़ीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क लोन राशि के वितरण के समय उसमें से काट लिए जाएंगे।	

(i)	लोन प्रोसेसिंग फीस	लोन राशि का 5% तक + लागू कर यानी ₹/- (लोन राशि से कटौती की जाएगी)
(ii)	दंडात्मक शुल्क	1. किस्त/EMI डिफॉल्ट होने पर 24% प्रति वर्ष यानी 2% प्रति माह, डिफॉल्ट की तारीख से लेकर असल पेमेंट की तारीख तक 2. बकाया राशि पर 2% प्रति माह, अगर उधार लेने वाला नीचे बताए गए नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता है, तो यह उस तारीख से शुरू होगा जब तक उधार देने वाले की संतुष्टि के अनुसार इसे ठीक नहीं कर दिया जाता। नीचे दी गई किसी भी घटना/कार्रवाई को लोन एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों का बड़ा उल्लंघन माना जाएगा और इस पर पेनाल्टी चार्ज लगेंगे। • एग्रीमेंट में दी गई ड्यू डेट पर या उससे पहले, बकाया राशि या EMI का पूरा पेमेंट न करना या एग्रीमेंट के तहत कोई अन्य बकाया पेमेंट न करना। • अगर उधार लेने वाला, उधार देने वाले को समय-समय पर मांगी गई कोई भी जानकारी/दस्तावेज़/PDC/NACH देने में विफल रहता है। • लोन एप्लीकेशन में उधार लेने वाले द्वारा दी गई कोई भी जानकारी, या उधार देने वाले को दिए गए फाइनेंशियल दस्तावेज़, और/या वित्तीय सहायता के लिए उधार देने वाले को दिया गया कोई अन्य दस्तावेज़/प्रमाण पत्र/रसीद/स्टेटमेंट गुमराह करने वाला या गलत पाया जाता है। • अगर उधार लेने वाला लोन की राशि या उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल उस मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए करता है जिसके लिए लोन मंजूर किया गया है या अगर जिस मकसद के लिए लोन लिया गया है वह गैर-कानूनी हो जाता है। • एग्रीमेंट के तहत दिए गए किसी भी पेमेंट निर्देश का अनादर / एग्रीमेंट के तहत किसी भी तरीके से पेमेंट रोकने के लिए उधार लेने वाले द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश या उधार देने वाले को कोई भी NACH मैसेज पेश न करने का निर्देश या NACH मैसेज रद्द करना। • ट्रांज़ैक्शन दस्तावेज़ों की शर्तों के तहत उधार देने वाले द्वारा की गई किसी भी मांग का कम पेमेंट।
(iii)	पूर्वभुगतान- शुल्क	Rs. 0
(iv)	प्री क्लोज़र-शुल्क	Rs. 0
(v)	व्यवस्थापक शुल्क	₹5000 तक + लागू कर
(vi)	ईएमआई की तारीख में बदलाव	₹1000/- + लागू कर
(vii)	लोन प्री-क्लोज़र स्टेटमेंट	Rs. 0
(viii)	लोन रीपेमेंट शेड्यूल (केवल विवरण की भौतिक प्रति के लिए लागू)	₹500/- + लागू कर
(ix)	पुनर्भुगतान खाते का आदान-प्रदान	₹1000/- + लागू कर
(x)	डुप्लीकेट नो ड्यूज सर्टिफिकेट/एनओसी जारी करने का शुल्क	₹500/- + लागू कर
(xi)	स्टाम्प ड्यूटी सेवा शुल्क	अधिकतम 100 रुपये तक
(xii)	खाता विवरण शुल्क (केवल	₹500/- + लागू कर

	विवरण की भौतिक प्रति पर लागू)	
(xiii)	दस्तावेजों की फोटोकॉपी	NA
(xiv)	स्टाम्प शुल्क/फ्रैंकिंग शुल्क	वास्तविक लागत + लागू करों सहित
(xv)	लोन वितरण/चेक सौंपने के बाद लोन रद्द करना	3000 रुपये + अर्जित और देय ब्याज + लागू कर
(xvi)	वैधानिक शुल्क	वास्तविक लागत + लागू करों सहित
(xvii)	दस्तावेजीकरण शुल्क	1,000 रुपये तक + अर्जित और देय ब्याज
B.	वसूली और कानूनी शुल्क	
(i)	लोन रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट अनादर शुल्क	प्रति इंस्टेंस 750 रुपये
(ii)	कानूनी शुल्क	वास्तविक लागत + लागू करों सहित
(iii)	EMI/PEMII वसूली शुल्क (केवल NPDC मामलों के लिए)	₹500/- + लागू कर प्रति माह (भुगतान की तिथि से पहले 3 महीनों को छोड़कर)
(iv)	पुनः प्राप्त संपत्ति के लिए रखरखाव शुल्क	वास्तविक लागत + लागू करों सहित
12.	ग्राहक सेवाएं:	1. कस्टमर सर्विस से जुड़ी पूछताछ, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी शामिल है, आप हमारे टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके लोनदाता- से कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट www.piramalfinance.com पर दिया गया है या हमें customercare@piramal.com पर ईमेल करें। 2. लोनदाता- लोनदाता की सभी शाखाओं के स्थान और ग्राहक सेवा के लिए मिलने का समय www.piramalfinance.com पर उपलब्ध है। 3. सालाना बकाया बैलेंस स्टेटमेंट जारी करने की तारीख – 30 जून या उससे पहले।
13.	शिकायत निवारण:	ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ उधार लेने वाला लोनदाता- द्वारा दी गई सर्विस से संतुष्ट न हो। ऐसे मामलों को सामने लाने और शिकायत दर्ज करने के लिए उधार लेने वाला नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो कर सकता है: • उधार लेने वाला www.piramalfinance.com पर दिए गए टोल फ्री नंबर के ज़रिए या customercare@piramal.com पर ईमेल करके या वेबसाइट पर बताए गए कार्यकारी घंटों के दौरान संबंधित डीलिंग ब्रांच के ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर से संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। • अगर उधार लेने वाला दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या उसके सवाल 15 दिनों के अंदर हल नहीं होते हैं, तो उधार लेने वाला grievances@piramal.com पर शिकायत कर सकता है। • अगर 15 दिनों के बाद भी समस्या हल नहीं होती है, तो उधार लेने वाला इस मामले को “नोडल ऑफिसर – हेतल परिहार”, पीरामल फाइनेंस लिमिटेड यूनिट नंबर-601, छठी मंज़िल, अमिति बिल्डिंग, पीरामल कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, LBS मार्ग, कुर्ली (पश्चिम), मुंबई - 400 070 से संपर्क कर सकता है। संपर्क विवरण: 022-71740555 ईमेल: nodal.officer@piramal.com • अगर उधार लेने वाला फिर भी जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह नेशनल हाउसिंग बैंक के शिकायत निवारण सेल से संपर्क कर सकता है और अपनी शिकायत ऑनलाइन मोड में https://grids.nhbonline.org.in लिंक पर दर्ज कर सकता है या नेशनल हाउसिंग बैंक, शिकायत निवारण सेल, विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग, नेशनल हाउसिंग बैंक, चौथी मंज़िल, कोर 5A, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 को लिख सकता है।

- वार्षिक बकाया राशि विवरण जारी करने की तिथि: 30 जून या उससे पहले।

- उधार लेने वाले की सुविधा के लिए, लोन डॉक्यूमेंटेशन लोनदाता- की ऑनलाइन/डिजिटल सेवाओं और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म (टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म) का इस्तेमाल करके किया जाएगा और उधार लेने वाला इसके द्वारा नई दिल्ली में एग्रीमेंट पर ई-स्टैम्प लगाने के लिए सहमति देता है, जहाँ लोनदाता- लोन एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और जिसे एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने की जगह माना जाएगा और आधार आधारित ई-सिग्नेचर के माध्यम से इन लोन एग्रीमेंट को स्वीकार और साइन करेगा।
- उधार लेने वाला टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आधार आधारित ई-सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन कोड/वन टाइम पासवर्ड ("OTP") डालकर इस लोन एग्रीमेंट की पुष्टि, पूरा करने और साइन करने की पुष्टि कर रहा है, यह इस बात का सबूत है कि उसने लोन एग्रीमेंट को पढ़ लिया है, समझ लिया है और बिना किसी शर्त के सहमत और स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद लोनदाता- द्वारा लोन का डिस्बर्समेंट पूरा किया जाएगा।
- उधार लेने वाला यह स्वीकार करता है कि वन-टाइम पासवर्ड, एक्सेस कोड या सुरक्षित ऑथेंटिकेशन के अन्य तरीके मिलने पर, लोन देने वाला यह मान लेगा कि यह ऑथेंटिकेशन उधार लेने वाले ने दिया है और यह सुनिश्चित करना पूरी तरह से उधार लेने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वन-टाइम पासवर्ड, एक्सेस कोड या सुरक्षित ऑथेंटिकेशन के अन्य तरीके किसी भी अनाधिकृत यूज़र के साथ शेयर न किए जाएं या उनका गलत इस्तेमाल न हो।
- लोनदाता-, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उधारकर्ता से प्राप्त या प्राप्त होने का दावा किए गए किसी भी लेनदेन या निर्देश की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय एक बार के पासवर्ड, एक्सेस कोड या अन्य सुरक्षित प्रमाणीकरण विधियों के सत्यापन के। प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के उपयोग और एक बार के पासवर्ड, एक्सेस कोड या अन्य सुरक्षित प्रमाणीकरण विधियों के उपयोग से उत्पन्न ऑनलाइन सुविधा अनुरोध से संबंधित लोनदाता- के सभी रिकॉर्ड लेनदेन की प्रामाणिकता और सटीकता का निर्णायक प्रमाण होंगे और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होंगे।
- लोनदाता- द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी पर लोन समझौता और स्वीकृति पत्र युक्त एक ईमेल ("ईमेल संचार") भेजा जाएगा। उपरोक्त स्वीकृति के लिए उधारकर्ता की ओर से किसी अन्य कार्य, कृत्य या लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें लेनदेन दस्तावेजों के लिए किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर या भौतिक हस्ताक्षर शामिल हैं। लोनदाता- को भी समझौते पर किसी भी प्रकार के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

मैं लोन एग्रीमेंट से सहमत हूँ

कर्जदार का नाम:

तारीख: समय:

IP:

अंदर बताए गए लोनदाता- द्वारा अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हाथों हस्ताक्षरित और दिया गया।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम: जयेश पटेल

असुरक्षित व्यवसाय ऋण (UBL)

अनुसूची / सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (MITC)

1.	ऋणदाता का नाम	पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पहले जिसे पीरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) रजिस्टर ऑफिस का पता: यूनिट नं. -601, 6वीं मंजिल, अमीति बिल्डिंग, पीरामल कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, LBS मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई 400070 और इसका एक शाखा कार्यालय दिल्ली - शाहदरा में है		
2.	कार्य स्थल	दिल्ली (यह वह स्थान होगा जहां ऋणदाता ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं)		
3.	कार्य प्रभावी तिथि			
4.	ऋणी/यों का विवरण	a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	

		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
	सह-ऋणी/यों का विवरण	a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	
		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
		a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	
		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
		a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	
		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
		a)	नाम	

		b)	संविधान	
		c)	पता	
		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
		a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	
		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
		a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	
		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
		a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	

		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
		a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	
		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
		a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	
		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
5.	ऋण राशि	कुल ऋण राशि: रु. (मात्र रुपये_____/-)		
6.	ऋण की अवधि			
7.	ब्याज दर (ROI)	% प्रति वर्ष (फिक्स्ड)		
8.	पुनर्भुगतान अनुसूची (भौतिक प्रति)	500 रुपये+ लागू कर		

9.	पुनर्भुगतान की देय तिथि	
10.	पुनर्भुगतान की आवृत्ति	
11.	स्वीकृति पत्र	तिथि :
12.	ऋण का उद्देश्य और अंतिम उपयोग	
उद्देश्य और अंतिम उपयोग		उद्देश्य:- व्यवसाय
		अंतिम उपयोग :-
ऋणी द्वारा यह घोषणा, प्रतिनिधित्व, गारंटी, पुष्टि एवं स्वीकृति दी जाती है कि: 1. ऋण का उपयोग केवल इस दस्तावेज़ में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा, और ऋण की अवधि के दौरान ऋण के उपयोग के उद्देश्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अथवा ऐसा कोई परिवर्तन केवल ऋणदाता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा। यह ऋण किसी भी अवैध, समाज विरोधी, मनी लेंडिंग, सट्टा गतिविधियों, अचल संपत्ति में सट्टा निवेश, पुनः उधार देने या प्रतिभूतियों, डिबेंचर या स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। 2. उपरोक्त प्रतिबद्धता का कोई भी उल्लंघन, ऋण अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में ऋणदाता को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह मेरे/हमारे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सके, जिसमें शेष ऋण राशि को रोका जाना अथवा ऋण की वापसी की मांग शामिल है, जैसा कि ऋणदाता उपयुक्त समझे।		
13.	A. प्रभारों एवं शुल्कों के भुगतान की अनुसूची:	
	I. ऋण प्रसंस्करण शुल्क (Loan Processing Fee)	ऋण राशि का 5% तक प्रसंस्करण शुल्क + लागू कर
	II. दंडात्मक शुल्क	प्रतिवर्ष 24% अर्थात प्रति माह 2% की दर से बकाया ब्रोकेन पीरियड ब्याज / EMI पर, डिफॉल्ट की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज लगाया जाएगा। ऋणी द्वारा नीचे उल्लिखित किसी भी नियम व शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बकाया राशि पर 2% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा। यह ब्याज गैर-अनुपालन की तिथि से लेकर जब तक कि ऋणी द्वारा उल्लंघन को ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार ठीक न कर दिया जाए, तब तक लागू रहेगा। **निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन न करने पर दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा: • अनुबंध में दी गई नियत तिथि पर या उससे पहले, अनुबंध के अंतर्गत बकाया राशि या ईएमआई या किसी अन्य देय राशि का पूर्ण भुगतान न करना या भुगतान न करना। • अनुबंध या लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार, निर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समयावधि के भीतर प्रतिभूति का निर्माण न करना। • लेनदेन दस्तावेजों में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर ऋणदाता द्वारा निर्धारित संपत्ति के स्वामित्व विलेख या किसी अन्य दस्तावेज को ऋणदाता के पास जमा न करना। • यदि ऋणी द्वारा ऋण आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी, या ऋणदाता को प्रस्तुत की गई वित्तीय जानकारी, और/या कोई अन्य दस्तावेज़ / प्रमाणपत्र / रसीद / विवरण ऋणदाता को वित्तीय सहायता के लिए भ्रामक या गलत पाई जाती है। • यदि ऋणी द्वारा ऋण राशि या उसका कोई भी भाग स्वीकृत उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है या यदि जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया गया है वह अवैध हो जाता है।

		· यदि ऋण अनुबंध के अंतर्गत दी गई कोई भुगतान निर्देश अस्वीकृत हो जाती है, या ऋणी द्वारा किसी भुगतान मोड को रोकने का निर्देश दिया जाता है, या ऋणदाता को कोई NACH आदेश प्रस्तुत न करने का निर्देश दिया जाता है, अथवा NACH आदेश रद्द कर दिया जाता है। · यदि ऋणी द्वारा अद्यतन KYC दस्तावेज, रोजगार विवरण आदि (जैसे - पता परिवर्तन, रोजगार परिवर्तन) 30 दिनों के भीतर जमा नहीं किए जाते हैं। · ऋणदाता द्वारा लेन-देन दस्तावेजों के अंतर्गत उठाई गई किसी भी मांग की आंशिक या कम भुगतान की स्थिति में।
--	--	---

	III. ऋण पूर्व-समापन विवरण	NA
	IV. पूर्व-भुगतान प्रभार (charges)	बकाया राशि का 5% + लागू कर
	V. आंशिक भुगतान प्रभार	भुगतान राशि का 5% + लागू कर (UBL-फ्लेक्सी के मामले में वितरित राशि के 30% तक के आंशिक भुगतान पर, आंशिक भुगतान प्रभार लागू नहीं होगा। वितरित राशि के 30% से अधिक के आंशिक भुगतान पर, उल्लिखित अनुसार आंशिक भुगतान प्रभार लागू होगा।)
	VI. ऋण पूर्व-समापन प्रभार	बकाया ऋण राशि का 5% + लागू कर
	VII. वितरण/चेक हस्तांतरण के बाद ऋण रद्द करना	रु. 3000 + अर्जित एवं देय ब्याज + लागू कर
	VIII. खाता विवरण प्रभार (केवल विवरण की भौतिक प्रति के लिए लागू)	रु.500/- + लागू कर
	IX. ऋण भुगतान अनुसूची (केवल विवरण की भौतिक प्रति के लिए लागू)	रु.500/- + लागू कर
	X. डुप्लिकेट नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी करने का शुल्क (केवल विवरण की भौतिक प्रति के लिए लागू)	रु.500/- + लागू कर

	XI. किसी भी दस्तावेज़ की प्रतिलिपि के लिए	NA

	प्रभार	
	XII. ऋण भुगतान मोड/खाते में परिवर्तन	रु. 1000/- + लागू कर
	XIII. स्टाम्प ड्यूटी प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर
	XIV. वैधानिक प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर
	XV. EMI तिथि परिवर्तन	रु. 1000/- प्रत्येक बार + लागू कर
	XVI. दस्तावेज़ प्रभार	1000 रुपये तक/-+ लागू कर
	XVII. प्रशासनिक प्रभार	5000 रुपये तक/-+ लागू कर
	B. संग्रह एवं वैधानिक प्रभार	
	I. ऋण पुनर्भुगतान साधन अस्वीकृति (dishonour) प्रभार	रु. 750/- प्रत्येक बार
	II. नकद बकाया / EMI / PEMII संग्रहण प्रभार	रु. 500/- प्रत्येक बार + लागू कर
	III. वैधानिक प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर
	IV. EMI / PEMI संग्रहण प्रभार (केवल NPDC मामलों के लिए)	500/- रुपये + लागू कर प्रति माह (वितरण की तिथि से पहले 3 महीने को छोड़कर)
	ऊपर उल्लिखित ऋण की अवधि के दौरान आवेदन पर लागू शुल्क और प्रभार समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं, जैसा कि ऋणदाता द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार तय किया जाता है और ऐसे किसी भी संशोधन को ऋणदाता द्वारा अपनी वेबसाइट www.piramalfinance.com या अपनी शाखाओं या ऐसे अन्य माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा, जिसे ऋणदाता उचित समझे।	
14.	मध्यस्थता का स्थान एवं न्यायालय का क्षेत्राधिकार	मध्यस्थता का स्थान तथा न्यायालय क्षेत्राधिकार, इस समझौते के निष्पादन का स्थान होगा जैसा कि इसके बिंदु संख्या 2 में बताया गया है।

15.	ग्राहक सेवा:	a) दस्तावेजों की आवश्यकता सहित ग्राहक सेवा से संबंधित सभी प्रश्न ऋणदाता की टोल फ्री नंबर (जो वेबसाइट www.piramalfinance.com पर उपलब्ध है) पर कॉल करके या ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं: customercare@piramal.com b) ऋणदाता की सभी शाखाओं के पते और ग्राहक सेवा के लिए निर्धारित समय की जानकारी www.piramalfinance.com पर उपलब्ध है। c) निकटतम शाखा में स्थित ऋणदाता के ग्राहक सेवा अधिकारी से या ऊपर उल्लेखित सेवा चैनलों में से किसी एक के माध्यम से कार्य समय में संपर्क किया जा सकता है, निम्नलिखित सेवाओं हेतु: i. दस्तावेजों की फोटोकॉपी - जो अनुरोध की तिथि से 15 कार्यदिवस के भीतर प्रदान की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होगा। ii. ऋण खाता विवरण, जो अनुरोध प्राप्त होने के 4 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान किया जा सकता है। d) वह तिथि जिस दिन वार्षिक बकाया शेष विवरण जारी किया जाएगा - 30 जून या उससे पहले
16.	शिकायत निवारण	ऐसे कई अवसर हो सकते हैं जब ऋणी को प्रदान की गई सेवाओं से संतोष न हो। ऐसी स्थिति को उजागर करने और शिकायत दर्ज करने के लिए, ऋणी निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं: • ऋणी अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर (जो www.piramalfinance.com पर उल्लिखित है) के माध्यम से या ईमेल के द्वारा customercare@piramal.com पर भेज सकते हैं, या संबंधित शाखा के शाखा संचालन प्रबंधक (Branch Operations Manager) से कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं जैसा कि वेबसाइट पर उल्लेखित है। • यदि ऋणी को समाधान से संतुष्टि नहीं मिलती है या उनकी शिकायत 15 दिनों के भीतर हल नहीं होती है, तो वे शिकायत को आगे बढ़ाकर हमें इस पते पर लिख सकते हैं: grievances@piramal.com • यदि स्तर 2 (Level 2) पर समाधान संतोषजनक नहीं है या 15 दिनों में उत्तर नहीं मिलता है, तो ऋणी निम्नलिखित को शिकायत बढ़ा सकते हैं: “नोडल अधिकारी - हेतल परिहार” पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पहले जिसे पीरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) यूनिट नं - 601, 6वीं मंजिल, अमिती बिल्डिंग, पीरामल कॉर्पोरेट पार्क, कामानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 संपर्क विवरण: 022-71740555 ईमेल: nodal.officer@piramal.com • यदि उपरोक्त सभी स्तरों पर 30 दिनों की अवधि में शिकायत का समाधान नहीं होता है या समाधान संतोषजनक नहीं है, तो ऋणी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के CMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं: https://cms.rbi.org.in या निम्नलिखित पते पर लिख सकते हैं: केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017, टोल फ्री नंबर: 14448

इस प्रमाण के रूप में, पक्षकारों ने इस अनुबंध को उस दिनांक और वर्ष में संपादित किया है, जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित है।

नामित ऋणदाता के हाथों से हस्ताक्षरित और वितरित
नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्तानियुक्त अधिवक्ता /
हस्ताक्षर:

नामित ऋणी के हाथों से हस्ताक्षरित और वितरित
नाम:

हस्ताक्षर:

नामित सह-ऋणी के हाथों से हस्ताक्षरित और वितरित
नाम:

हस्ताक्षर:

नामित सह-ऋणी के हाथों से हस्ताक्षरित और वितरित
नाम:

हस्ताक्षर:

नामित सह-ऋणी के हाथों से हस्ताक्षरित और वितरित
नाम:

हस्ताक्षर:

नामित सह-ऋणी के हाथों से हस्ताक्षरित और वितरित
नाम:

हस्ताक्षर

अनुसूची / सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (MITC)

1.	ऋणदाता का नाम	नाम: पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पहले जिसे पीरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) रजिस्टर ऑफिस का पता: 601, 6वीं मंजिल, अमीति बिल्डिंग, पीरामल कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई 400070 CIN: U64910MH1984PLC032639, www.piramalfinance.com इसकी एक कार्यालय शाखा स्थित है:		
2.	कार्य स्थल	दिल्ली (यह वह स्थान होगा जहां ऋणदाता ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं)		
3.	कार्य प्रभावी तिथि	वह तिथि होगी जिस दिन ऋणदाता ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हों।		
4.	ऋण का उद्देश्य और अंतिम उपयोग			
	ऋण का उद्देश्य और	उद्देश्य :-		
	अंतिम उपयोग	अंतिम उपयोग :-		
ऋणी द्वारा यह घोषणा, प्रतिनिधित्व, गारंटी, पुष्टि एवं स्वीकृति दी जाती है कि: 1. ऋण का उपयोग केवल इस दस्तावेज़ में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा, और ऋण की अवधि के दौरान ऋण के उपयोग के उद्देश्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अथवा ऐसा कोई परिवर्तन केवल ऋणदाता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा। यह ऋण किसी भी अवैध, समाज विरोधी, मनी लेंडिंग, सट्टा गतिविधियों, अचल संपत्ति में सट्टा निवेश, पुनः उधार देने या प्रतिभूतियों, डिबेंचर या स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। 2. उपरोक्त प्रतिबद्धता का कोई भी उल्लंघन, ऋण अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में ऋणदाता को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह मेरे/हमारे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सके, जिसमें शेष ऋण राशि को रोका जाना अथवा ऋण की वापसी की मांग शामिल है, जैसा कि ऋणदाता उपयुक्त समझे।				
5.	ऋणी/यों का विवरण	a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	
		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
6.	सह-ऋणी/यों का विवरण	a)	नाम	
		b)	संविधान	
		c)	पता	
		d)	ईमेल पता	
		e)	मोबाइल नंबर	
7.	संपत्ति (Asset) का विवरण	a)	जिसके के लिए ऋण की आवश्यकता है:-	

		b)	मेक, मॉडल और वैरिएंट:	
		c)	पंजीकरण संख्या:	
		d)	पंजीकरण वर्ष:	
		e)	स्वामित्व संख्या:	
		f)	चेसिस संख्या:	

		g)	इंजन संख्या:	
		ऋण के सफल समापन पर, फॉर्म 35 और NOC ऋण समापन तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी/सौंप दिए जाएंगे। यदि ऋणी/यों ने इस संपत्ति के विरुद्ध, जिसे ऋणदाता द्वारा वित्तपोषित किया गया है, कोई अन्य ऋण लिया है, तो फॉर्म 35 और NOC सभी संबंधित ऋणों के सफल समापन पर जारी किए जाएंगे, जहाँ भी लागू हो। फॉर्म 35 और NOC ऋण समापन के अनुरोध के समय ऋणी की पसंद के अनुसार ऋण प्रदान करने वाली शाखा या किसी अन्य शाखा से प्राप्त किए जा सकते हैं।		
8.	ऋण राशि	a) स्वीकृत राशि : ₹ (केवल रुपये) b) मोटर बीमा प्रीमियम वित्तपोषित : ₹ (केवल रुपये) c) ऋण बीमा प्रीमियम वित्तपोषित : ₹ (केवल रुपये) d) व्यक्तिगत दुर्घटना प्रीमियम : ₹ (केवल रुपये) e) कुल ऋण राशि : ₹ (केवल रुपये)		
9.	ब्याज दर (ROI)	% प्रति वर्ष (फिक्स्ड)		
10.	स्टाम्प ड्यूटी सेवा शुल्क:	₹100/- तक		

11.	पुनर्भुगतान अनुसूची / आवृत्ति	मासिक, अर्थात् दिनांक – भुगतान अवधि : (महीनों में) रु., की समान मासिक किस्त)EMI(:
12.	ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति पत्र	नं. : तिथि: तिथि:
13.	A. प्रभारों एवं शुल्कों के भुगतान की समय-सारणी: आवेदन के समय / ऋण की अवधि के दौरान लागू प्रभार एवं शुल्क, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, समय-समय पर ऋणदाता द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार बदले जा सकते हैं, और ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना ऋणदाता द्वारा अपनी वेबसाइट www.piramalfinance.com, अपनी शाखाओं, या अन्य किसी माध्यम से दी जाएगी, जिसे ऋणदाता उपयुक्त समझे। ऋण वितरण के समय, ऋण राशि में से ऋण प्रसंस्करण शुल्क (Processing Fees), दस्तावेज़ शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी काटा जाएगा।	
	(i) ऋण प्रसंस्करण शुल्क	ऋण राशि के 5% तक + लागू कर
	(ii) दस्तावेज़ीकरण शुल्क	प्रत्येक बार 2750/- रुपये तक + लागू कर
	(iii) दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी	NA

	(iv) कार मूल्यांकन/निरीक्षण शुल्क	प्रत्येक बार 1500/- रुपये तक + लागू कर
	(v) पूर्व-समापन पत्र प्रभार (Charges)	रु. 500/- + लागू कर
	(vi) प्री-पेमेंट/क्लोजर चार्जस	• पार्ट-प्रीपेमेंट राशि का 6% + लागू टैक्स (अगर पहले डिस्बर्समेंट की तारीख से 12 महीनों के अंदर प्रीपेमेंट किया जाता है) • पार्ट-प्रीपेमेंट राशि का 5% + लागू टैक्स (अगर पहले डिस्बर्समेंट की तारीख से 12 महीनों के बाद प्रीपेमेंट किया जाता है) • एक फाइनेंशियल वर्ष में अधिकतम 2 पार्ट-प्रीपेमेंट की अनुमति है • न्यूनतम पार्ट-प्रीपेमेंट: ₹1,00,000 प्रति बार

	(vii) दंडात्मक शुल्क	1. 24% प्रति वर्ष अर्थात 2% प्रति माह की दर से ब्याज लागू होगा, यदि ऋणी द्वारा PEMII / EMI का भुगतान निर्धारित तिथि पर नहीं किया जाता है। यह ब्याज डिफॉल्ट की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक लागू रहेगा। 2. ऋणी द्वारा नीचे उल्लिखित किसी भी नियम व शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बकाया राशि पर 2% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा। यह ब्याज गैर-अनुपालन की तिथि से लेकर जब तक कि ऋणी द्वारा उल्लंघन को ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार ठीक न कर दिया जाए, तब तक लागू रहेगा। **निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन न करने पर दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा: · अनुबंध में दी गई नियत तिथि पर या उससे पहले, अनुबंध के अंतर्गत बकाया राशि या ईएमआई या किसी अन्य देय राशि का पूर्ण भुगतान न करना या भुगतान न करना। · अनुबंध या लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार, निर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समयावधि के भीतर प्रतिभूति का निर्माण न करना। · लेनदेन दस्तावेजों में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर ऋणदाता द्वारा निर्धारित संपत्ति के स्वामित्व विलेख या किसी अन्य दस्तावेज को ऋणदाता के पास जमा न करना। · यदि ऋणी द्वारा ऋण आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी, या ऋणदाता को प्रस्तुत की गई वित्तीय जानकारी, और/या कोई अन्य दस्तावेज / प्रमाणपत्र / रसीद / विवरण ऋणदाता को वित्तीय सहायता के लिए भ्रामक या गलत पाई जाती है। · यदि ऋणी द्वारा ऋण राशि या उसका कोई भी भाग स्वीकृत उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है या यदि जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया गया है वह अवैध हो जाता है। · यदि ऋण अनुबंध के अंतर्गत दी गई कोई भुगतान निर्देश अस्वीकृत हो जाती है, या ऋणी द्वारा किसी भुगतान मोड को रोकने का निर्देश दिया जाता है, या ऋणदाता को कोई NACH आदेश प्रस्तुत न करने का निर्देश दिया जाता है, अथवा NACH आदेश रद्द कर दिया जाता है। · यदि ऋणी द्वारा अद्यतन KYC दस्तावेज, रोजगार विवरण आदि (जैसे - पता परिवर्तन, रोजगार परिवर्तन) 30 दिनों के भीतर जमा नहीं किए जाते हैं। · ऋणदाता द्वारा लेन-देन दस्तावेजों के अंतर्गत उठाई गई किसी भी मांग
--	-----------------------------	---

		की आंशिक या कम भुगतान की स्थिति में। · यदि संपत्ति (सिक्योरिटी/प्रतिभूति) के निर्माण में स्वीकृत योजना से कोई विचलन होता है, या निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं होता है, या यदि संपत्ति के निर्माण से संबंधित प्राप्त किसी अनुमोदन को वापस ले लिया जाता है। · यदि संपत्ति के उपयोग में परिवर्तन किया जाता है, या संपत्ति अथवा उसका कोई भाग नष्ट हो जाता है, बेचा जाता है, उपहार स्वरूप दिया जाता है या उसका मूल्य कम हो जाता है, और ऋणी सिक्योरिटी कवर को बनाए रखने हेतु अतिरिक्त संपत्ति नहीं देता है; या यदि संपत्ति पर किसी प्रकार की कुर्की/जप्ती की जाती है जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया गया है; या यदि सिक्योरिटी इंटरेस्ट (security interest) अनुपालन योग्य नहीं रह जाता है। यदि सिक्योरिटी या उसका कोई भाग किराए पर दिया जाता है, लीज पर दिया जाता है, बेचा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, गिरवी रखा जाता है या किसी भी अन्य रूप में हस्तांतरित किया जाता है बिना ऋणदाता की पूर्व लिखित अनुमति के।
--	--	--

	(viii) वितरण/चेक हस्तांतरण के बाद ऋण रद्द करना	रु. 5000 + अर्जित एवं देय ब्याज + लागू कर
	(ix) खाता विवरण प्रभार	प्रत्येक बार रु.500/- + लागू कर

	(x) पेट्रोल से LPG/CNG में परिवर्तन और इसके विपरीत के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)	प्रत्येक बार रु.500/- + लागू कर
	(xi) कोई भी डुप्लिकेट NOC	प्रत्येक बार रु.500/- + लागू कर
	(xii) ऋण भुगतान अनुसूची (केवल भौतिक प्रतियों के लिए लागू)	प्रत्येक बार रु.500/- + लागू कर
	(xiii) पुनर्भुगतान खाते की अदला-बदली	प्रत्येक बार रु.500/-
	(xiv) EMI तिथि परिवर्तन प्रभार (Charges)	प्रत्येक बार रु.1000/-
	(xv) वैधानिक प्रभार (Statutory Charges)	वास्तविक पर + लागू कर
	(xvi) स्टाम्प ड्यूटी प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर
	(xvii) RTO प्रभार	रु.10000/- + लागू कर
	(xviii) प्रशासनिक प्रभार	5000 रु./- तक + लागू कर
	B. संग्रह एवं वैधानिक प्रभार	
	(i) ऋण पुनर्भुगतान साधन अस्वीकृति (dishonour) प्रभार	प्रत्येक बार रु.750/-
	(ii) वैधानिक नोटिस प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर
	(iii) कब्ज़ा पुनः प्राप्ति प्रभार (Repossession Charges)	न्यूनतम रु.15,000/- या वास्तविक राशि, जो भी अधिक हो + लागू कर
	(iv) केवल NPDC मामलों के लिए EMI / PEMI संग्रहण प्रभार	प्रत्येक बार रु. 500/- + लागू कर (वितरण/disbursement की तिथि से पहले 3 महीने को छोड़कर)
	(v) पार्किंग यार्ड प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर
	(vi) पुनः प्राप्त संपत्ति हेतु रखरखाव प्रभार	वास्तविक पर + लागू कर
	C. सभी लागू कर, प्रभार, स्टाम्प ड्यूटी प्रभार, सरकारी प्रभार और नियामकों द्वारा निर्धारित अन्य प्रभार उपरोक्त प्रभारों से बाहर रखे गए हैं।	
13.	मध्यस्थता का स्थान एवं न्यायालय का क्षेत्राधिकार	मध्यस्थता का स्थान तथा न्यायालय क्षेत्राधिकार, इस समझौते के निष्पादन का स्थान होगा जैसा कि इसके बिंदु संख्या 2 में बताया गया है।

	ग्राहक सेवा:	1. दस्तावेजों की आवश्यकता सहित ग्राहक सेवा से संबंधित सभी प्रश्न ऋणदाता की टोल फ्री नंबर (जो वेबसाइट www.piramalfinance.com पर उपलब्ध है) पर कॉल करके या ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं: customercare@piramal.com 2. ऋणदाता की सभी शाखाओं के पते और ग्राहक सेवा के लिए निर्धारित समय की जानकारी www.piramalfinance.com पर उपलब्ध है। 3. ऋणदाता की सभी शाखाओं के संबंध में ग्राहक सेवा के लिए शाखा स्थानों और खुलने के समय का विवरण www.piramalfinance.com पर उपलब्ध है।
	शिकायत निवारण:	ऐसे कई अवसर हो सकते हैं जब ऋणी को प्रदान की गई सेवाओं से संतोष न हो। ऐसी स्थिति को उजागर करने और शिकायत दर्ज करने के लिए, ऋणी निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं: 1. ऋणी अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर जो www.piramalfinance.com पर उल्लिखित है के माध्यम से या (ईमेल के द्वारा customercare@piramal.com पर भेज सकते हैं, या संबंधित शाखा के शाखा संचालन प्रबंधक)Branch Operations Manager) से कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं जैसा कि वेबसाइट पर उल्लेखित है। 2. यदि ऋणी को समाधान से संतुष्टि नहीं मिलती है या उनकी शिकायत 15 दिनों के भीतर हल नहीं होती है, तो वे शिकायत को आगे बढ़ाकर हमें इस पते पर लिख सकते हैं: grievances@piramal.com 3. यदि स्तर 2 (Level 2) पर समाधान संतोषजनक नहीं है या 15 दिनों में उत्तर नहीं मिलता है, तो ऋणी निम्नलिखित को शिकायत बढ़ा सकते हैं: “नोडल अधिकारी ”हेतल परिहार - पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पहले जिसे पीरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) यूनिट नं - 601, 6वीं मंजिल, अमिती बिल्डिंग, पीरामल कॉर्पोरेट पार्क, कामानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 संपर्क विवरण: 022-71740555 ईमेल: nodal.officer@piramal.com 4. यदि उपरोक्त सभी स्तरों पर 30 दिनों की अवधि में शिकायत का समाधान नहीं होता है या समाधान संतोषजनक नहीं है, तो ऋणी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के CMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं: https://cms.rbi.org.in या निम्नलिखित पते पर लिख सकते हैं: केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017, टोल फ्री नंबर: 14448

--	--	--